मूल हिंदी

भारत सरकार
आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय
राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 85

01 दिसम्बर, 2025 को उत्तर दिये जाने के लिए

उत्तराखंड राज्य में प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी)

85 # श्री महेंद्र भट्टः

क्या **आवासन और शहरी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) प्रधानमंत्री आवास योजना, जिसका उद्देश्य नगर (शहरी) क्षेत्रों में गरीबों को किफायती आवास उपलब्ध कराना है, के तहत इस वित्तीय वर्ष में उत्तराखंड राज्य के लिए कुल कितने आवासों की स्वीकृति प्रदान की गई है;

(ख) इसके लिए कुल कितनी धनराशि जारी की गई है; और

(ग) तत्संबंधी जिला-वार विवरण क्या है?

उत्तर
आवासन और शहरी कार्य राज्य मंत्री
(श्री तोखन साहू)

(क) से (ग): आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय (एमओएचयूए) 25.06.2015 से प्रधानमंत्री आवास योजना - शहरी (पीएमएवाई-यू) का कार्यान्वयन कर रहा है, जिसका उद्देश्य देश भर के पात्र शहरी लाभार्थियों को बुनियादी नागरिक सुविधाओं के साथ, सभी मौसमों में रहने योग्य पक्के आवास प्रदान करना है। स्वीकृत आवासों को पूरा करने के लिए वित्त पोषण पैटर्न और कार्यान्वयन पद्धति को बिना बदले योजना की अवधि 31.12.2025 तक बढ़ा दी गई है।

पीएमएवाई-यू के कार्यान्वयन के अनुभवों से प्राप्त सीख के आधार पर, आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय ने इस योजना को नया रूप दिया है और अगले पाँच वर्षों में 1 करोड़ अतिरिक्त पात्र

लाभार्थियों को सहायता प्रदान करने हेतु देश भर के शहरी क्षेत्रों में कार्यान्वयन हेतु 01.09.2024 से पीएमएवाई-यू 2.0 'सभी के लिए आवास' मिशन शुरू किया है। पीएमएवाई-यू 2.0 को चार घटकों, अर्थात् लाभार्थी- आधारित निर्माण (बीएलसी), साझेदारी में किफायती आवास (एएचपी), किफायती किराया आवास (एआरएच) और ब्याज सब्सिडी योजना (आईएसएस) के माध्यम से कार्यान्वित किया जाता है।

उत्तराखंड राज्य द्वारा प्रस्तुत परियोजना प्रस्ताव के आधार पर, मंत्रालय द्वारा अब तक पीएमएवाई-यू 2.0 के तहत 2736 आवासों सहित पीएमएवाई-यू के तहत कुल 66,341 आवासों को स्वीकृति प्रदान की गई है। जिसमें से, 24.11.2025 तक 45,124 आवास पूरे किये जा चुके / लाभार्थियों को सौंपे जा चुके हैं। इस वित्त वर्ष में अब तक मंत्रालय द्वारा पीएमएवाई-यू 2.0 के तहत कुल 2,736 आवासों को स्वीकृति प्रदान की गई है। इस वित्त वर्ष के दौरान, पीएमएवाई-यू और पीएमएवाई-यू 2.0 के तहत उत्तराखंड राज्य को 69.21 करोड़ रुपये की केंद्रीय सहायता जारी की गई है। वित्त वर्ष 2025-26 के दौरान पीएमएवाई-यू 2.0 के तहत स्वीकृत आवासों और पीएमएवाई-यू एवं पीएमएवाई-यू 2.0 के तहत जारी केंद्रीय सहायता का जिला-वार विवरण अनुलग्नक में दिया गया है।

दिनांक 01.12.2025 के राज्य सभा अतारांकित प्रश्न सं. 85 के उत्तर में उल्लिखित अनुलग्नक

वित्त वर्ष 2025-26 के दौरान पीएमएवाई-यू 2.0 के तहत स्वीकृत आवासों और पीएमएवाई-यू तथा पीएमएवाई-यू 2.0 के तहत जारी केंद्रीय सहायता का जिला-वार विवरण

क्र. सं.	जिले का नाम	पीएमएवाई-यू 2.0 के तहत स्वीकृत आवास (संख्या)	पीएमएवाई-यू और पीएमएवाई-यू 2.0 के तहत जारी केंद्रीय सहायता (करोड़ रुपये में)	
			पीएमएवाई-यू	पीएमएवाई-यू 2.0
1	अल्मोड़ा	35	-	0.31
2	बागेश्वर	62	-	0.12
3	चमोली	366	-	1.52
4	चम्पावत	1	-	0.00
5	देहरादून	260	-	0.20
6	हरिद्वार	198	2.44	0.67
7	नैनीताल	233	0.01	2.03
8	पौड़ी गढ़वाल	324	-	0.81
9	पिथौरागढ़	198	-	0.95
10	रुद्र प्रयाग	-	-	-
11	टिहरी गढ़वाल	24	-	0.21
12	उदम सिंह नगर	1,035	2.35	7.57
13	उत्तर काशी	-	-	-
कुल		**2,736**	**4.80**	**14.41**
राज्य को जारी की गई मूल स्वीकृति		**-**	**-**	**50.00**
कुल योग		**2,736**	**4.80**	**64.41**